न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई०ए०एस०

विविध प्रकरण सं. 22/2024

प्रार्थी–
बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. मैसर्स शांति फैशन गारमेट्स एण्ड शोरूम प्रोपराईटर श्री डाला राम पुत्र श्री भैरा राम पता सिणधरी सर्किल बाड़मेर
2. श्री डाला राम पुत्र श्री भैरा राम पता अम्बेडकर कॉलोनी किशन बाल निकेतन स्कूल के पीछे वार्ड नंबर 30 बाड़मेर
3. श्री भैरा राम पुत्र श्री अंदा राम पता अम्बेडकर कॉलोनी किशन बाल निकेतन स्कूल के पीछे वार्ड नंबर 30 बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–

1. श्री दिपेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.02.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थी(गण) मैसर्स शांति फैशन गारमेंट्स एण्ड शोरूम व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थी(गण) मैसर्स शांति फैशन गारमेंट्स एण्ड शोरूम व अन्य की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज में कुल 5,00,000/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी(गण) ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार कर प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस करने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थी(गण) सं. 1 से 3 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:28:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

किया तथा प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति यथा भैरा राम पुत्र अंदा राम दर्जी के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति अवस्थित मौहल्ला अम्बेडकर कॉलोनी किशन बाल निकेतन स्कूल के पीछे वार्ड नंबर 30 बाड़मेर बनाप 1160 वर्ग फीट को प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 27.09.2017 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थी(गण) द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.03.2023 तक बकाया शेष रूपये 5,18,947/– भुगतान नहीं करने पर अप्रार्थी(गण) का खाता एनपीए घोषित कर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी(गण) के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी करवाया। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी(गण) के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व में है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे में लेना सम्भव नहीं है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थी(गण) को राशि रूपये 5,00,000/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थी(गण) बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थी(गण) से दिनांक 30.03.2023 तक कुल 5,18,947/– बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थी(गण) को पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किया जाकर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। *सुनंदा कुमारी (श्रीमती) बनाम स्टैण्डर्ड चार्टड बैंक, 2007 (135) कम्प.केस. 604 (कर्नाटक)* के प्रकरण में जैसाकि निर्धारित किया गया हैं कि यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका हैं तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 14 के अधीन प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से धारा 13(2) का नोटिस विधिवत रूप से अप्रार्थी(गण) को संसूचित किया गया है उसके पश्चात भी अप्रार्थी(गण) द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय [illegible] का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 [illegible] धारा 14 मे विहित प्रावधानों के

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:28:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी(गण) 1 से 3 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त "भैरा राम पुत्र अंदा राम दर्जी के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति अवस्थित मौहल्ला अम्बेडकर कॉलोनी किशन बाल निकेतन स्कूल के पीछे वार्ड नंबर 30 बाड़मेर बनाप 1160 वर्ग फीट" का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(निशान्त जैन)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:28:43 IST
Reason: SelfAttested